Journal Homepage: www.ijarpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 02, Issue 09, pp 380-387, September 2025

बच्चों के शैक्षिक एवं शारीरिक विकास पर मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव - बेगूसराय जिला के संदर्भ में

डॉ. पूजा कुमारी

अध्यापिका (गृह विज्ञान), उत्क्रमित माध्यमिक विधालय, मकदमपुर, बेगूसराय

सारांश :

भोजन मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, जिसका संबंध केवल भूख मिटाने से नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास से भी है। कुपोषण बच्चों की शैक्षिक प्रगति में प्रमुख बाधा है। भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग तीन करोड़ बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं। इस समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने वर्ष 1995 से मध्याह्न भोजन योजना लागू की, जिसे वर्ष 2021 से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य न केवल बच्चों को पोषण उपलब्ध कराना है बल्कि शिक्षा के सर्वव्यापीकरण, नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि तथा छीजन दर को कम करना भी है।

प्रस्तुत अध्ययन बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड में कक्षा 1 से 8 तक के 100 विद्यार्थियों पर किया गया। आंकड़ों का संग्रह प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि से किया गया तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का उपयोग कर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि योजना से बच्चों की उपस्थिति एवं नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध होने से उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। तथापि, अपेक्षित स्तर पर शैक्षिक उपलब्धि एवं कुपोषण उन्मूलन में यह योजना पूर्णतः सफल नहीं रही है।

मूलशब्द : बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, पोषण, मध्यान्ह भोजन, नामांकन

प्रस्तावना :

प्राथमिक शिक्षा बच्चों के विकास का नीव है एवं यह बच्चों के भविष्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लागू होती है। इसमें प्राथमिक तक के बच्चे सम्मिलित शामिल है। भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और कुपोषित बच्चों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये भारत सरकार ने 15 अगस्त,1995 से केंद्र प्रायोजित प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (एन.पी.–एन.पी.एस.ई.) लागू किया। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के नामांकन दरों को बढ़ाकर साक्षरता दर में सुधार करना, विधालय छोड़ने वालों बच्चों की संख्या को कम करना और पूरक आहार द्वारा उनकी पोषण स्थिति को विकसित करना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है तथापि 2001 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विधालयों में पका हुआ मिड-डे मील उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। अक्टूबर, 2007 में इस योजना का विस्तार उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों तक करने के लिए किया गया और इस योजना का नाम बदलकर मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील) कर दिया गया। वर्ष 2021 में इस योजना का पुनः नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' योजना (पीएम पोषण योजना) कर दिया गया। इस योजना में पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के बालवाटिका (3–5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे) के छात्र को भी शामिल किया गया। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में भूख और कुपोषण को दूर करना, विधालय में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि करना, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार करना और विशेष रूप से महिलाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना है।

उद्देश्य:

प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा पर मध्याह्न भोजन योजना के प्रभाव का विश्लेषण करना।

(ii) स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति पर मध्याह्न भोजन योजना के प्रभाव का परीक्षण करना।

(iii) विद्यालयों में प्रदत्त मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना।

(iv) विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाने वाले मध्याह्न भोजन की मात्रा की पर्याप्तता का अध्ययन करना।

बिहार में मध्याह्न भोजन योजना :

बिहार राज्य में मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ वर्ष 2003-04 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। इस अंतर्गत राज्य के 10 जिलों के 30 प्रखंडों के कुल 2,532 प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया। योजना की प्रारंभिक सफलता के पश्चात इसे इन जिलों के सभी 15,000 विद्यालयों तक विस्तारित किया गया, जिससे लगभग 30 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

जनवरी 2005 से बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालयों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया। तत्पश्चात, वर्ष 2007-08 से यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों तक विस्तारित हुई। फरवरी 2008 में इस कार्यक्रम को कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भी लागू किया गया। इसी क्रम में 21 मई 2008 को बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति का गठन एवं पंजीकरण किया गया।

वर्तमान में बिहार के लगभग 71,567 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक/मध्य विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों तथा सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2021 से इस योजना का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम पोषण योजना)’ कर दिया गया है। इसमें पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं (बालवाटिका, 3–5 वर्ष आयु वर्ग) के बच्चों को भी शामिल किया गया है।

पीएम पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में भूख एवं कुपोषण को दूर करना, विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि करना, विभिन्न जातियों एवं समुदायों के बीच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना तथा महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। बिहार एक युवा राज्य है जिसकी लगभग 48 प्रतिशत जनसंख्या 18 वर्ष से कम आयु की है। वर्तमान में इस योजना से राज्य के लगभग 41 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। यह योजना बच्चों के लिए न केवल एक महत्वपूर्ण पोषण स्रोत है बल्कि विद्यालय शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाला प्रभावी कल्याणकारी योजना भी है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्कूली भोजन योजनाओं में गिना जाता है।

शोध विधि एवं परिचर्चा :

यह अध्ययन बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड के वर्ग 1 से 8 तक के 100 बच्चों पर किया गया। इस उद्देश्य के लिए विकसित की गई अनुसूची की मदद से जानकारी एकत्र की गई थी। प्रस्तुत अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नावली तैयार कर साक्षात्कार विधि से आंकड़ो का संग्रह एवं विश्लेषण के उपरान्त अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा गया हैं। इससे साक्षात्कार के दौरान सभी महत्वपूर्ण बिदुंओं पर विशेष रुप से ध्यान केंद्रित कर आंकड़ों का संग्रह किया गया हैं। तत्पश्चात उसका विश्लेषण किया गया हैं। वर्तमान शोधपत्र में प्राथमिक एव द्वितीय स्रोत के आंकड़े के आधार पर अध्ययन किया गया है। प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे इस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं।

शारीरिक विकास पर प्रभाव :

मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के शारीरिक विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यह योजना बच्चों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है और वे बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं।

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रतिदिन प्रति छात्र को दिए जाने वाल पोषक तत्व एवं साप्ताहिक मेनू का विवरण निम्नवत है :

तालिका - 1 मध्याह्न भोजन योजना का साप्ताहिक नवीन मेनू

क्रम सं	दिन	मेनू
1	सोमवार	चावल + मिश्रित दाल तड़का (हरी सब्जी युक्त)
2	मंगलवार	चावल + सोयाबीन आलू की सब्जी
3	बुधवार	चावल + लाल चना का चोला (अल्प मात्रा में आलू युक्त)
4	वृस्पतिवार	चावल + मिश्रित दाल तड़का (हरी सब्जी युक्त)
5	शुक्रवार	चावल + लाल चना का चोला (अल्प मात्रा में आलू युक्त) + एक सम्पूर्ण अबला अंडा (जो बच्चा अंडा नहीं खाना पसंद करते हैं केवल उनके लिए मौसमी फल 100 ग्राम वजन के समतुल्य सेब केला
6	शनिवार	खिचड़ी (हरी सब्जी युक्त) + चोखा

स्रोत : विधालय मध्याह्न भोजन तालिका

तालिका संख्या 2 : मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रतिदिन प्रति छात्र मिलने वाले पोषक तत्व की मात्रा

मद	प्राथमिक विधालय (कक्षा I से V)	उच्च प्राथमिक विधालय (कक्षा VI से VIII)
कैलोरी	450	700
प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
सूक्ष्म पोषक तत्व	आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन - ए आदि का पर्याप्त मात्रा	

स्रोत : मध्याह्न भोजन निदेशालय, शिक्षा विभाग, पटना

तालिका संख्या 1 एवं 2 में प्रस्तुत मध्याह्न भोजन योजना के साप्ताहिक मेनू के पोषण संबंधी विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इस योजना के अंतर्गत बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्तता सुनिश्चित की गई है। मेनू निर्धारण में बच्चों के संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। भोजन में सम्मिलित चावल स्टार्च एवं प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ शारीरिक विकास में सहायक होता है। दाल प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध कराती है, जो विशेषकर बढ़ते हुए बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसी प्रकार, सोयाबीन में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स तथा खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन के दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध होते हैं।

सब्जियों में आयरन, कैल्शियम, विटामिन और अन्य आवश्यक खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों को सुदृढ़ बनाने तथा त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। फलों के सेवन से विटामिन और फाइबर प्राप्त होते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य, रक्त निर्माण और वजन वृद्धि में सहायक होते हैं। तेल में विद्यमान वसा बच्चों के शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। अंडा प्रोटीन, विटामिन A, B तथा D और आयरन का स्रोत है, जो शारीरिक एवं मस्तिष्कीय विकास तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करता है।

संपूर्ण रूप से देखा जाए तो मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाला मेनू न केवल बच्चों की ऊर्जा एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि उनके शैक्षणिक विकास में भी सहायक सिद्ध होता है। यह योजना कुपोषण की समस्या को दूर करने तथा विद्यार्थियों को स्वस्थ एवं सक्षम नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

तालिका - 3 भोजन एवं स्वछता संबंधित विवरण

क्रम सं	प्रश्न	उत्तर
1	क्या खाना बाँटने से पिछले हाँथ धुलवाए जाते है?	हाँ - 95 प्रतिशत नहीं - 05 प्रतिशत
2	विधालय में पानी पीने का साधन क्या है?	हाँ - 100 प्रतिशत नहीं - 0 प्रतिशत
3	क्या विधालय में प्रीतिदिन खाना दिया जाता है?	हाँ - 100 प्रतिशत नहीं - 0 प्रतिशत
4	क्या विधालय में भर पेट भोजन मिलता है?	हाँ - 100 प्रतिशत नहीं - 0 प्रतिशत
5	क्या खाना साप्ताहिक मेनू के अनुसार मिलता है?	हाँ - 100 प्रतिशत नहीं - 0 प्रतिशत
6	क्या खाना घर भी ले जा सकते हैं?	हाँ - 0 प्रतिशत नहीं - 100 प्रतिशत
7	खाना खाने में कितना सयम लगता है?	20 मिनट
8	खाना खाने के लिए कितना समय दिया जाता है?	40 मिनट
9	खाना खाने से कोई बीमार भी पड़ता है?	हाँ - 0 प्रतिशत नहीं - 100 प्रतिशत
10	क्या खाना खाने के लिए बर्तन घर से लाते है?	हाँ - 0 प्रतिशत नहीं - 100 प्रतिशत

स्रोत – सर्वेक्षण

तालिका संख्या 3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालयों में छात्रों को प्रतिदिन समय पर एवं भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। विद्यार्थियों को भोजन करने एवं मध्यांतर के लिए औसतन 40 मिनट का समय प्रदान किया जाता है, जिससे वे सहजता से भोजन कर सकें। भोजन परोसने से पूर्व कुछ शिक्षक स्वयं भोजन का स्वाद चखते हैं और उसके उपरांत ही विद्यार्थियों को परोसा जाता है। यह प्रक्रिया न केवल भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है बल्कि बच्चों और अभिभावकों के बीच योजना के प्रति विश्वास को भी मजबूत बनाती है।

विशेष रूप से शुक्रवार को अंडा एवं मौसमी फल दिए जाने के कारण विद्यार्थियों की उपस्थिति अन्य दिनों की तुलना में अधिक पाई गई। भोजन परोसने हेतु आवश्यक बर्तन विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और भोजन प्रशिक्षित रसोइयों द्वारा तैयार किया जाता है। खाना बनाने एवं परोसने की प्रक्रिया में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन प्राप्त हो सके।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह विद्यार्थियों में स्वच्छता संबंधी आदतों को प्रोत्साहित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना शहरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस योजना के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।

तालिका - 4

क्रम सं०	**बच्चों की देखभाल और पोषण की स्थिति**	**बेगूसराय एन.एफ.एच.एस.-4 (2015-16)**	**बेगूसराय एन.एफ.एच.एस.-5 (2019-21)**
1	5 साल से कम उम्र के बच्चे मे बौनापन (उम्र के लिए ऊंचाई)	44.9	37.8
2	5 साल से कम उम्र के बच्चे मे अपक्षय (ऊंचाई के लिए वजन)	18.4	21.4
3	5 साल से कम उम्र के बच्चे मे अत्यधिक अपक्षय (ऊंचाई के लिए वजन)	5.8	8.8
4	5 साल से कम उम्र के बच्चे मे कम वजन (उम्र के लिए वजन)	39.1	35.6

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारत सरकार

बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास में मातृ पोषण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि गर्भावस्था के दौरान माता को समुचित पोषण आहार प्राप्त न हो अथवा शैशवावस्था में शिशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध न कराया जाए, तो बच्चों में कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुपोषित बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होने के साथ-साथ विभिन्न रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे उनकी मृत्यु दर भी बढ़ जाती है।

तालिका संख्या 4 में प्रस्तुत शोध-अध्ययन आधारित आंकड़े दर्शाते हैं कि बेगूसराय ज़िले में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की स्थिति चिंताजनक है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि 37.8 प्रतिशत बच्चे बौनापन के शिकार हैं, 21.4 प्रतिशत बच्चे कुपोषित , 8.8 प्रतिशत बच्चे अतिकुपोषित) तथा 35.6 प्रतिशत बच्चे कम वजन की समस्या से ग्रस्त पाए गए।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4), 2015-16 की तुलना में बेगूसराय ज़िले में बौनापन एवं कुपोषित बच्चों की स्थिति में क्रमशः 7.1 प्रतिशत एवं 3.5 प्रतिशत सुधार देखा गया है। हालांकि, अतिकुपोषित एवं कम वजन वाले बच्चों की संख्या में क्रमशः 3.0 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, जो चिंता का विषय है।

अनुसंधानों से यह भी स्पष्ट होता है कि बाल मृत्यु दर में कुपोषण एक प्रमुख कारण है। कुपोषणग्रस्त बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण वे आसानी से विभिन्न संक्रामक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अतः मातृ एवं शिशु पोषण में सुधार, संतुलित आहार की उपलब्धता तथा मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन बच्चों के समग्र स्वास्थ्य एवं विकास के लिए अत्यावश्यक है।

शैक्षिक विकास पर प्रभाव :

मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव केवल बच्चों के पोषण स्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके शैक्षणिक विकास पर भी गहरा प्रभाव डालती है। गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चे, जो भोजन की कमी अथवा आर्थिक अभाव के कारण नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ पाते थे, अब विद्यालय में निःशुल्क भोजन की उपलब्धता के कारण अधिक नियमित रूप से आने लगे हैं। इस योजना के परिणामस्वरूप विद्यालयों में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा बच्चों की उपस्थिति में भी निरंतर सुधार देखा गया है।

शोध के दौरान यह भी पाया गया कि शुक्रवार को जब मध्याह्न भोजन में अंडा एवं मौसमी फल परोसे जाते हैं, उस दिन विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति अन्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि पौष्टिक भोजन बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करता है।

नियमित उपस्थिति के अतिरिक्त, मध्याह्न भोजन योजना से बच्चों की एकाग्रता, ध्यान क्षमता तथा शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार देखा गया है। भूख से मुक्त होने के कारण बच्चे कक्षा में अधिक समय तक सक्रिय रहते हैं और अध्ययन में उनकी रुचि भी बढ़ती है। इस प्रकार यह योजना न केवल बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों को सुदृढ़ करती है, बल्कि शिक्षा के प्रसार एवं सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

तालिका - 5 सामाजिक श्रेणी के अनुसार नामांकन संबंधित विवरण

कक्षा	**जाति**			
	सामान्य	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**
1 - 8	10 प्रतिशत	66.50 प्रतिशत	27 प्रतिशत	1.5 प्रतिशत

स्रोत – सर्वेक्षण

तालिका संख्या 5 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के विद्यालयों में सामाजिक श्रेणियों के अनुसार नामांकन की स्थिति भिन्न-भिन्न है। विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों में से 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग, 66.50 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 27 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 1.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी पाए गए। यह आंकड़े संकेत करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में नामांकन का अधिकांश भाग सामाजिक रूप से वंचित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है।

शोध से यह भी ज्ञात हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी विद्यालयों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, साथ ही अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चे सरकारी विद्यालयों में ही नामांकित होते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी विद्यालयों में मिलने वाली सुविधाएँ जैसे कि निःशुल्क शिक्षा, मध्यान्ह भोजन योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य कल्याणकारी योजनाएँ भी पिछड़े एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को सरकारी विद्यालयों की ओर आकर्षित करती हैं। इस प्रकार, सरकारी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय एवं शैक्षणिक समानता स्थापित करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर रहे हैं।

तालिका - 6 सामाजिक श्रेणी के अनुसार नामांकन संबंधित विवरण

क्रम सं	**वर्ग**	**छात्रों को स्कूल आने में रूचि**	**छात्रों को शिक्षक द्वारा कक्षा में पढाये गए पाठ की समझ**	**छात्रों को अपनी शैक्षिक कार्य में अभिभावक का सहयोग**
1	प्राथमिक	95 प्रतिशत	92 प्रतिशत	82 प्रतिशत
2	उच्च प्राथमिक	87 प्रतिशत	97 प्रतिशत	77 प्रतिशत

स्रोत – सर्वेक्षण

तालिका संख्या 6 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में पिछले एक वर्ष के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथापि बच्चों के नामांकन में निरंतर गिरावट देखी गई है। शोध से ज्ञात हुआ कि पिछले चार वर्षों में

सरकारी विद्यालयों में नामांकन दर में लगभग 10 से 12 प्रतिशत तक की कमी आई है। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि एक ओर जहां शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा विद्यार्थियों को आकर्षित करने हेतु मध्यान्ह भोजन योजना जैसी नीतियाँ लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन घटते जा रहे हैं।

इसके विपरीत, निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अभिभावकों के बीच यह धारणा व्यापक है कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ही उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून तथा अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों की सफलता की आधारशिला है। चूँकि इन क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षा-अध्यापन अंग्रेजी माध्यम में ही होता है, अतः अभिभावकों का रुझान अपने बच्चों को निजी विद्यालयों की ओर भेजने में अधिक देखा गया। परिणामस्वरूप, सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज का आकर्षण घट रहा है, जो शिक्षा नीति के दृष्टिकोण से गंभीर विचार का विषय है।

निष्कर्ष :

मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के शैक्षिक एवं शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना बच्चों के स्वास्थ को संबल प्रदान करती है, जिससे वे विधालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में किये गए इस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए है :

मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के शैक्षिक एवं शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और शिक्षा स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध हुई है, बल्कि उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को भी सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे विशेष रूप से गरीब, पिछड़े एवं वंचित वर्गों के बच्चे विद्यालय आने के लिए प्रेरित होते हैं। परिणामस्वरूप, विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति दर में वृद्धि हुई है तथा विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी आई है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि मध्यान्ह भोजन ने बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने और कुपोषण दर घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले जहाँ गरीब परिवारों के बच्चे पौष्टिक आहार के अभाव में बीमार रहते थे, वहीं अब भोजन की उपलब्धता से उनकी स्वास्थ्य स्थिति बेहतर हुई है। इसके अतिरिक्त, इस योजना ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण, समान अवसर प्रदान करने तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया है। हालाँकि, यह भी तथ्य सामने आया कि सरकार के प्रयासों और कार्यक्रम की उपलब्धियों के बावजूद बच्चों में कुपोषण की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है। गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता, स्वच्छता मानकों का पालन और नियमित निगरानी की कमी इसके प्रभाव को सीमित कर रही है।

अतः यह आवश्यक है कि सरकार, विद्यालय प्रबंधन एवं समुदाय मिलकर इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएँ। भोजन की गुणवत्ता और मात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाए, नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा बच्चों की पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप आहार प्रदान किया जाए। तभी यह योजना अपने दीर्घकालिक उद्देश्य—कुपोषण उन्मूलन और शिक्षा के सार्वभौमिकरण—को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकेगी और बच्चों को स्वस्थ एवं सफल जीवन की दिशा में अग्रसर कर सकेगी।

सुझाव :

मध्याह्न भोजन योजना के अनेक सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए हैं, तथापि अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि यह योजना अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी है। अतः योजना को अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं –:

- जन-जागरूकता अभियान – योजना की व्यापकता एवं महत्व को जनता तक पहुँचाने हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नियमित प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि अभिभावकों एवं समुदाय में इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो।

- प्रधानाध्यापक की भूमिका – विद्यालय संचालन एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रधानाध्यापक का पूरा ध्यान केंद्रित रहे, इसके लिए उन्हें मध्याह्न भोजन योजना के प्रत्यक्ष दायित्वों से मुक्त किया जाना चाहिए।

- पोषण स्वास्थ्य सूचकांक – प्रत्येक छात्र के लिए प्रवेश स्तर पर एक *पोषण स्वास्थ्य सूचकांक रिकॉर्ड बुक तैयार की जाए, जिसमें उसके स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी विवरण अंकित किए जाएँ तथा यह रिकॉर्ड उसके विद्यालय छोड़ने तक नियमित रूप से संधारित किया जाए।

- गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली – भोजन की गुणवत्ता एवं स्वाद का आकलन सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक, छात्र एवं अभिभावकों की टिप्पणियों को दर्ज करने के लिए एक स्वाद रजिस्टर रखा जाए।
- रसोइयों की स्थायी नियुक्ति – वर्तमान में भोजन पकाने एवं भंडारण हेतु अस्थायी नियुक्त कर्मचारी उत्तरदायित्व से मुक्त रहते हैं। अतः योजना की स्थिरता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए रसोइयों की स्थायी नियुक्ति की जानी चाहिए।
- नियमित निरीक्षण एवं निगरानी – योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतंत्र एवं नियमित निरीक्षण व्यवस्था विकसित की जाए। यह निरीक्षण शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सहयोग से किया जाए, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व दोनों सुनिश्चित हों।

संदर्भ सूची :

(i) शिक्षा विभाग, बिहार सरकार। (2012)। दोपहर : बिहार सरकार की पहल।

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। (2019-20)। विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना : वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट।

(iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। (2015-16)। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.-4)। नई दिल्ली।

(iv) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। (2019-20)। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.-5)। नई दिल्ली।

(v) भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, गृह मंत्रालय। (2011)। भारत की जनगणना 2011।

(vi) वित्त विभाग, बिहार सरकार। (2018-19)। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19।

(vii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। (2019-20)। मूल्यांकन टिप्पणी : विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मध्यान्ह भोजन प्रभाग।

(viii) पाल, अंकित एवं अन्य (2024)। बिहार के ग्रामीण विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का पोषण व शैक्षिक स्थिति पर प्रभाव। यूरोपियन जर्नल ऑफ़ नुट्रिशन एंड फ़ूड सेफ्टी , 16(8), 149–155।

(ix) गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, लखनऊ। (2014)। मध्यान्ह भोजन योजना पर द्वितीय अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट, बिहार राज्य हेतु।

(x) .मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। (2018)। मध्यान्ह भोजन योजना पर ग्यारहवाँ संयुक्त समीक्षा मिशन, बिहार। विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।